

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायपुर (छ.ग.)

आदेश

क्रमांक 691 / दो-11-12/2015

रायपुर, दिनांक 06 अगस्त 2024

इस न्यायिक जिला स्थापना में गठित परीक्षा सेल/भर्ती एवं नियुक्ति समिति, रायपुर द्वारा की गई अनुशंसा एवं प्रतिवेदन के आधार पर **स्टेनोटाईपिस्ट** के पद पर निम्नांकित चयनित अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम, 2017 के अंतर्गत वेतन मैट्रिक्स लेवल-4 (वेतनमान रूपये 19500-62000) में उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से **अस्थायी** रूप से **03 वर्ष** की परिवीक्षा अवधि पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन नियुक्ति प्रदान की जाती है :-

क.	अभ्यर्थी का नाम व पता	नियुक्ति का वर्ग
1	2	3
1	स्नेहा ध्रुव, पिता- श्री हीरालाल ध्रुव, पता-वार्ड नंबर- 13, गजानन मंदिर के पीछे, मकान नंबर- 300, समता नगर, दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.) पिन कोड- 491001	(अनुसूचित जनजाति) मुक्त

नियुक्ति की शर्तें

1. यह नियुक्ति माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के एस.एल.पी. (सी) क्रमांक 19668/2022 के अंतिम आदेश के अध्याधीन होगी।
2. नियुक्त कर्मचारी को आवश्यक रूप से मूल शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र एवं नोटरी द्वारा सत्यापित अथवा स्वप्रमाणित प्रति, कार्यभार ग्रहण करते समय कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।
3. नियुक्त कर्मचारी तत्परतापूर्वक मुख्य चिकित्सा अधिकारी से अपना स्वास्थ्य परीक्षण करवाकर फिटनेस प्रमाण पत्र कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना होगा, यदि स्वास्थ्य परीक्षण में वे शासकीय कार्य हेतु उपयुक्त नहीं पाये जाते हैं तो उनका यह नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिया जावेगा।
4. नियुक्त कर्मचारी को कार्यभार ग्रहण करते समय 01 कोरी सेवा पुस्तिका प्रस्तुत करना होगा।
5. नियुक्त कर्मचारी को नियुक्ति उपरांत पुलिस अनुप्रमाणन फार्म की पूर्ति कर शपथ पत्र के साथ कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। पुलिस सत्यापन में यदि उन्हें किसी अपराध में संलग्न रहना पाया गया तो उनका यह नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिया जावेगा।
6. किसी भी पक्ष द्वारा एक माह की पूर्व सूचना अथवा एक माह का वेतन व भत्ता देकर सेवा समाप्त की जा सकती है।
7. सेवा के प्रथम वर्ष में उच्च शिक्षा हेतु अध्ययन की अनुमति नहीं दी जावेगी तथा कार्यालय प्रमुख की पूर्वानुमति उपरांत ही उच्च शिक्षा हेतु अध्ययन प्रारंभ कर सकेंगे।
8. कार्यालय प्रमुख की अनुमति के बिना अन्यत्र शासकीय/अर्द्धशासकीय या कोई भी सेवा के लिय आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं करेंगे।
9. नवनियुक्त कर्मचारी को नियुक्ति आदेश जारी होने के दिनांक से अधिकतम 15 दिवस के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा।
10. परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक समाप्त किए जाने पर वेतनमान के न्यूनतम पर वेतन नियत किया जावेगा। परिवीक्षा अवधि के दौरान कार्य, आचरण एवं व्यवहार संतोषजनक

नहीं पाये जाने पर अथवा अन्य कारणों से उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये समाप्त कर दी जायेगी।

11. नवनियुक्त अभ्यर्थी की पदस्थापना जिला स्थापना रायपुर (छ.ग.) के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत किसी भी न्यायालय अथवा अनुभाग में की जा सकती है।
12. यह नियुक्ति आदेश चयनित अभ्यर्थी के उपलब्ध निवास के पते पर रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से प्रेषित की जा रही है, साथ ही जिला न्यायालय रायपुर, छ.ग. के वेबसाइट raipur.courts.gov.in पर भी अपलोड की जा रही है। चयनित उम्मीदवार नियुक्ति आदेश की प्रति वेबसाइट से डाउनलोड करके भी अपना कार्यभार ग्रहण कर सकते हैं।
13. नवनियुक्त अभ्यर्थी को जो अन्यत्र शासकीय या अर्द्धशासकीय या शासकीय उपक्रम, निगम इत्यादि में सेवारत है, वे उक्त विभाग/संस्था/कार्यालय का अनापत्ति प्रमाण पत्र अपने अन्य प्रमाण पत्र के साथ कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करेंगे।

scf
(अब्दुल जाहिद कुरैशी)

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
रायपुर (छ.ग.)

पृष्ठांकन क्रमांक 3171/दो-11-12/15

रायपुर, दिनांक 06 अगस्त 2024

प्रतिलिपि :-

1. श्रीमान रजिस्ट्रार जनरल, माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. स्टेनोग्राफर, न्यायालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायपुर की ओर माननीय महोदय के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत करने हेतु प्रेषित।
3. प्रभारी अधिकारी, नजारत अनुभाग, रायपुर की ओर नियुक्ति आदेश नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराये जाने हेतु प्रेषित।
4. प्रभारी अधिकारी, कम्प्युटर अनुभाग, रायपुर की ओर नियुक्ति आदेश कार्यालय वेबसाइट पर अपलोड कराये जाने हेतु प्रेषित।
5. स्नेहा ध्रुव,पिता- श्री हीरालाल ध्रुव, पता-वार्ड नंबर- 13, गजानन मंदिर के पीछे, मकान नंबर- 300, समता नगर, दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.) पिन कोड- 491001
6. लेखापाल/लेखा लिपिक/प्रेषक/कार्यालय मोहररि, रायपुर।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

scf
(अब्दुल जाहिद कुरैशी)

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
रायपुर (छ.ग.)